रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18—मार्च 24, 2017 (फाल्गुन 27, 1938)

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18—MARCH 24, 2017 (PHALGUNA 27, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	265
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	215
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	203
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	301
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	25
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	515
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	265
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	215
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	203
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	301
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	25
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	515
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I— खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2017

सं. 18-प्रेज़/2017—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2017 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैः-

महानिरीक्षक वीरेन्द्र सिंह पठानिया, तटरक्षक पदक (0137-एल)

2.विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 4(iv) के तहत राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक (विशिष्ट सेवा) प्रदान किया जाता है।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 19-प्रेज़/2017—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2017 के अवसर पर कमांडेंट अनवर खान (0492-क्यू) को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

कमांडेंट अनवर खान (0492-क्यू) ने 06 जनवरी 1997 को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. 18 मई 2016 को करीब 0330 बजे, इनके कमान के अधीन भारतीय तटरक्षक पोत वरद को चेन्नई से लगभग 26 समुद्री मील दूर समुद्र में संकटग्रस्त कर्षण बजरा के साथ कर्षी नौका धनुश्री की सहायता एवं बचाव के लिए तत्काल नौवहन का आदेश दिया गया। कर्षी नौका धनुश्री 11 सदस्यी चालक दल के साथ संघर्षरत थी जिसका पतवार **बांयी** ओर फँसा हुआ था एवं एएसपी में पानी भरा हुआ था। चेन्नई से 80 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में एक दबाव का क्षेत्र पहले ही बन चुका था जो बाद में चक्रवात 'रोआनू' में परिवर्तित हो गया।

3. सूचनानुसार घटनास्थल पर पहुँचकर वस्तुस्थिति के आकलन करने पर यह पाया गया, कि कर्षी नौका बड़ी तेजी से घूम रही थी, एवं चालक-दल के सदस्य परिचालन कक्ष से पानी निकालते हुए पूरी तरह थक चुके थे। मास्टर ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कि परिचालन बहाल कर पाना व्यवहारिक नहीं होगा, तत्कालिक बचाव सहायता का अनुरोध किया था। खराब मौसम के चलते चालकदल को नाव द्वारा बचाए जाने की संभावनाएं सीमित थी। संकटग्रस्त नौका को इस हालात में छोड़ने से नौका डूब सकती थी जो संभावित नौवहन खतरों एवं तैलीय प्रदूषण का कारण बन सकता था। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों ने कर्षी नौका एवं कर्षी बजरें दोनों को खींचकर ले जाने का निर्णय लिया। उन मौसमी परिस्थितियों में कर्षी रेखा से गुजरते हुए कर्षण रस्सी को बांधना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस संभावित टकराव की दशा में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बीच 150 मीटर लंबे लोहे की बेड़यों से बंधे पोत का संचालन एक बेहद जोंखिम भरा एवं खतरनाक कार्य था, जो कर्षी नौका से बजरें तक फैली हुई थी परंतु अधिकारी स्वयं की असाधारण पेशेवर कुशाग्रता के बल पर तेज हवाओं एवं चक्रवाती मौसम में फंसे संकटग्रस्त नौका को पोत द्वारा बाहर खींच लाने में सफल रहे।

4. अधिकारी ने अपनी बुद्धि **तत्परता** एवं साहस के बल पर न केवल 11 बहूमूल्य जीवनों की रक्षा की, अपितु कर्षी नौका एवं बजरें का बचाव भी सुनिश्चित किया, एवं इस प्रकार संभावित तैलीय प्रदूषण की बड़ी दुर्घटना टल गयी। इस अभियान के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिकारी द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट पेशेवर कुशाग्रता सेवा के उच्च आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हैं।

5. कमांडेंट अनवर खान (0492-क्यू) ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम **13** के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. **20**-प्रेज़/**2017**—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, **2017** के अवसर पर प्रदीप, उत्तम नाविक (यांत्रिकी अभियंता), **05899-**एम को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

प्रदीप, उत्तम नाविक (यांत्रिकी अभियंता), **05899-**एम ने **21** जनवरी **2008** को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की।

2. 26 अगस्त **2016** को **0930** बजे, भारतीय तटरक्षक पोत वरद 'ऑपरेशन तलाश' के अंतर्गत लापता आईएएफ एएन-**32** के तलाशी अभियान पर नौवहन कर रहा था जब पोत पर वरद के मेडिकल अफसर का पोतारोहण हुआ, क्योंकि प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 'ओआरवी सागर निधि' के चालक दल का एक सदस्य पीठ के निचले हिस्से एवं पेट में दर्द से पीड़ित था यह पोत समुद्र की तलहटी में लापता एयरक्रॉफ्ट के मलबे की तलाश में चेन्नई से **130** समुद्री मील दूर नौवहन कर रहा था।

3. तट से **60** समुद्री मील की दूरी तय करने के बाद, पोत का सामना **25** नॉट की गति से बह रही तेज हवाओं से हुआ, जहां लहरों की ऊंचाई सतत् रूप से बढ़ते हुए **2-3** मीटर तक पहुँच गयी थी। निसंदेह **3** मीटर ऊंची लहरों एवं **30** नॉट के प्रचंड वायु वेग वाले अशांत समुद्र में मेडिकल अफसर के साथ नौका से बोर्डिंग **पार्टी** भेजना, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था।

4. पोत की बोर्डिंग पार्टी मेडिवेक अभियान के लिए तैयार थी अशांत समुद्र में, जहां केवल साहस एवं दृढ़-निश्चय वाला व्यक्ति ही डटा रह सकता हैं, इन विषम परिस्थितियों में बोर्डिंग पार्टी के बोट चालक का कार्य प्रदीप ने संभाला। प्रदीप ने **20-25** डिग्री घूम रहे पोत पर तेजी से दोलित हो रही जेमिनी को क्रेन हुक से निकालकर नौवहन हेतु तैयार किया। उसने टीम के दूसरे सदस्यों की भी सहायता की एवं आउट बोर्ड मोटर (ओबीएम) चलाकर, पोत से जेमिनी को अलग कर दिया। उसने विचलित कर देनी वाली उफनती लहरों के बीच बोट का कुशलतापूर्वक संचालन कर सागर निधि तक इसे सुरक्षित रूप से पहुँचा दिया। उसने टीम सदस्यों के सागर निधि पर पोतारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की एवं बोट को किसी भी प्रकार कि क्षति से बचाते हुए, इसे दक्षतापूर्वक पोत के पार्श्व में स्थिरता प्रदान की। प्रदीप ने मरीज के साथ टीम का बोट पर सुरक्षित पोतारोहण सुनिश्चित किया। मरीज की सफलतापूर्वक निकासी कर उसे पोत पर लाया गया। बोर्डिंग टीम, विशेषकर प्रदीप के असाधारण एवं साहसिक प्रयासों के चलते गंभीर रूप से बीमार मरीज का सफलतापूर्वक निकासी कर लिया गया।

5. मेडिवेक अभियान का ओआरवी सागर निधि के चालक दल द्वारा बड़ी ही सावधानीपूर्वक अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) किया गया। पोत के द्वारा संचलित अभियान की प्रंशसा करते हुए, श्री एन रामाकृष्णन, उप प्रबंधक (एफपी), भारतीय नौवहन निगम ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, जो इस अभियान की महत्ता को प्रतिपादित करता है। भारतीय तटरक्षक सेवा की समृद्ध परंपरा के अनुरूप प्रदीप द्वारा विपरीत परिस्थितियों में साहस एवं पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन सराहनीय है।

6. प्रदीप, उत्तम नाविक (यांत्रिकी अभियंता), **05899-**एम ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम **11(i)** के तहत तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम **13** के अधीन तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. **21**-प्रेज़/**2017**—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, **2017** के अवसर पर संदीप, उत्तम नाविक (क्वार्टर आर्मर), **06965-**एल को बहादुरी के लिए तटरक्षक पदक (शौर्य) सहर्ष प्रदान करते हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

संदीप, उत्तम नाविक (क्वार्टर आर्मर), **06965-**एल ने **22** जुलाई **2010** को भारतीय तटरक्षक में सेवा आरंभ की एवं **18** अप्रैल **2016** से वह एयरक्रू मेन (डायवर) के पद पर **841** स्क्वाड्रन (तटरक्षक) दमन में कार्यरत हैं।

2. 02 अगस्त **2016** की सुबह लगभग **10.00** बजे वलसाड प्रशासन गुजरात से यह सूचना प्राप्त हुई कि लगातार हो रही भारी बारिश एवं औरंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण अचानक आयी बाढ़ में हनुमान भागड़ा एवं भगदावाड़ा गाँव के ग्रामीण फंसे हुए हैं दमन एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश, तेज हवाओं एवं आसमान में छाए हुए बादलों के साथ गहरे दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम काफी खराब हो चुका था। खोज एवं बचाव कार्यों के लिए चेतक सीजी **815** तैयार था जिसमें संदीप, उत्तम नाविक को मुक्त गोताखोर के रूप में नामित किया गया था।

3. एयरक्रॉफ्ट बचाव क्षेत्र में पहुँचा, परिस्थितियाँ काफी गंभीर थी क्योंकि घर बाढ़ में डूबे हुए थे, जलस्तर लगातार बढ़ रहा था एवं बहुत से ग्रामीण संकट में फंसे हुए थे। कुछ लोग छतों से, कुछ पेंडो से लटके हुए एवं कुछ तैरते हुए सहायता की गुहार लगा रहे थे। इस परीक्षा की घड़ी में संदीप को लगातार विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों की निकासी के लिए उतारा गया। एक बार उन्हें टिन शेड पर फंसे लोगो के बचाव के लिए उतारा गया। एयरक्रॉफ्ट से जमीन पर उतरने के दौरान टिन शेड टूटकर ढह गया एवं वहां फंसे कुछ लोग संदीप के साथ नीचे गिर पड़े, समय की माँग के अनुसार संदीप ने **स्वयं** की चिंता न करते हुए, सभी फँसे हुए लोगो को ढह चुके टिन शेड से बाहर निकालकर एयरक्रॉफ्ट पर चढ़ने में मदद की, जबकि वह **स्वयं** ढह चुके टिन शेड में फंसा रहा।

4. हेलीकॉप्टर के बेस पर वापसी के दौरान उसने दो लोग जो हाथ हिलाकर मदद मांग रहे थे, को देखा तो उसने एयरक्रॉफ्ट के कैप्टन को सूचित किया। इस दौरान भर्ती कार्मिक ने **समय** व्यर्थ न गंवाते हुए, फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर पर चढ़ाकर सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण का काम जारी रखा। एक के बाद एक लगातार आठ फेरों में संदीप ने अलग-अलग स्थानों से करीब **28** संकटग्रस्त लोगों का हेलीकॉप्टर की सहायता से बचाव कर, वलसाड प्रकाशघर के पास सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया। पूरे अभियान में जब हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा था, तो इस दौरान भर्ती कार्मिक ने स्वयं का उदाहरण देते हुए संकटग्रस्त लोगों का हौसला बनाए रखा। **8** फेरों की समाप्ति पर हेलीकॉप्टर से उतरकर भर्ती कार्मिक ने बचाए गए सभी **28** लोगों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया।

5. एक वायुकर्मी के रूप में, संदीप ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता, बहादुरी, कर्तव्य के प्रति समर्पण एवं निर्णायक भूमिका निभाने के सामर्थ्य का बखूबी परिचय दिया, जिसके परिणामस्वरूप **28** बहुमूल्य जीवन बचाए जा सके। भर्ती कार्मिक ने पूरे अभियान के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बीच धैर्य एवं साहस बनाए रखा तथा चालक दल के साथ समन्वय स्थापित कर, अपने कर्तव्यों का भली-भांति निर्वहन किया। उनके सही निर्णय, हाजिर बुद्धि, साहस एवं दृढ़निश्चय ने तटरक्षक के आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए, सेवा को गौरवान्वित किया।

6. संदीप, उत्तम नाविक (क्वार्टर आर्मर), **06965-**एल ने स्वयं को बखूबी सिद्ध किया है, फलस्वरूप इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान किया जाता है।

7. तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम **11(i)** के तहत तटरक्षक पदक **(**शौर्य**)** प्रदान किया जाता है तथा परिणामस्वरूप नियम **13** के अधीन तटरक्षक पदक **(**शौर्य**)** प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को विशेष भत्ता स्वीकार्य है।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

सं. **22**-प्रेज़/**2017**—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, **2017** के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक सहर्ष प्रदान करते हैः-

(i) उपमहानिरीक्षक सत्यजीत कृष्णाजी वैद्य **(4046-**एस**)**

(ii) उपमहानिरीक्षक शाजन कुरियन **(4070-**एक्स**)**

(iii) कमांडेंट जशबीर सिंह रंधावा (0280-एल)

2. सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करने संबंधी नियम **11(ii)** के तहत तटरक्षक पदक **(**सराहनीय सेवा**)** प्रदान किया जाता है।

अ. राय
विशेष कार्य अधिकारी

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January 2017

No. 18- Pres/2017—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2017 to award the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service to the undermentioned officer:-

Inspector General Virender Singh Pathania, TM (0137-L)

2. The President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service award is made under Rule-4(iv) of the rules governing grant of the President's Tatrakshak Medal for Distinguished Service.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 19- Pres/2017— The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2017 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant Anwar Khan (0492-Q).

CITATION

Commandant Anwar Khan (0492-Q) joined the Indian Coast Guard on 06 January 1997.

2. On 18 May 2016 at about 0330 hrs, ICGS Varad under his command was ordered to sail with dispatch for providing rescue assistance to distressed Ocean going Tug Dhanushree with tow barge at approximate distance of 26 nm from Chennai. The Tug Dhanushree was struggling with 11 crew onboard and reported flooding in ASP with rudder stuck to port. A depression had already been formed 80 nm South east of Chennai which was later transformed into Cyclone Roanu.

3. On reaching the datum, the situation was promptly assessed and it was observed that, the tug was rolling vigorously with its crew fully exhausted of undertaking the de-flooding in the steering compartment. The master also confirmed that, the feasibility of restoring steering is minimal and requested immediate rescue assistance. The inclement weather restricted rescue of the crew through boat. In addition leaving behind the distress vessel which would sink eventually could lead to imminent oil pollution and potential navigational danger. Considering all factors, the officer decided to take both tug and tow barge under tow. Passing the tow line and connecting tow in such weather condition was a challenging task. The handling of the ship in such close quarter situation in adverse weather condition with 150 m steel wire rope extending from the tug to the barge was extremely risky and dangerous. The officer's extraordinary professional acumen enabled the ship to take distressed vessel in tow in cyclonic weather with very strong winds.

4. The presence of mind and courage displayed by the officer not only saved 11 precious lives but also ensured rescue of a tug and barge and averted a major mishap of imminent oil pollution. The officer's indomitable spirit in the face of adversity and outstanding professional acumen were on display in this operation and are in consonance with the highest traditions of the service.

5. Commandant Anwar Khan (0492-Q) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 20- Pres/2017—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2017 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Pardeep, Uttam Navik (Mechanical Engineer), 05899-M.

CITATION

Pardeep, Uttam Navik (Mechanical Engineer), 05899-M the joined Indian Coast Guard on 21 January 2008.

2. At 0930 hrs on 26 August 2016, the ship (ICGS Varad) sailed for 'Ops Talash', the ongoing search operation for missing IAF AN-32. The ship embarked Medical Officer ex-Varad, as one crew member of 'ORV Sagar Nidhi' was

reportedly suffering from severe pain in lower back and abdomen. The vessel was involved in scanning the seabed for locating any wreckage from the ill-fated aircraft and was operating 130 nautical mile (nm) East of Chennai.

3. After opening 60 nm from coast, the ship started experiencing winds up to 25 knots and steady increase in swell height to 2-3 meter. Undoubtedly, with swell of 3 meter and winds gusting to 30 knots and causing confused seas, the operation of sending boarding party with medical officer by boat was extremely challenging.

4. Ship's boarding party was prepared for the MEDEVAC operation with Pardeep as the boat helmsman in a challenging sea where only grit and determination could win. With ship rolling continuously 20-25 degrees, Pardeep led the way to embark the violently tossing Gemini and disengaged it from the crane hook. He helped the other team members in embarking, started the Out Board Motor (OBM) and maneuvered clear of the ship. He deftly handled the boat in the confused and huge swell and safely came alongside Sagar Nidhi. He played a key role in disembarking the team members on Sagar Nidhi and to prevent damage to boat, kept maneuvering it close to vessel. Pardeep once again helped the team to embark the boat along with the patient. The patient was evacuated successfully and brought onboard ship. The extraordinary and daring efforts by the boarding team, and by Pardeep in particular, resulted in safe evacuation of a severely ill patient.

5. The MEDEVAC operation was closely monitored by the crew of ORV Sagar Nidhi. In light of the operation carried out by this ship, a message of gratitude and appreciation was received from Shri N Ramakrishnan, Deputy Manager (FP), Shipping Corporation of India (SCI), which speak volumes about the significance of the operation. The professional competence, courage and fortitude displayed by Pardeep during the operation was commendable in keeping with the highest traditions of ICG Service.

6. Pardeep, Uttam Navik (Mechanical Engineer), 05899-M has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 21- Pres/2017— The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2017 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Sandeep, Uttam Navik (Quarter Armor), 06965-L.

CITATION

Sandeep, Uttam Navik (Quarter Armor), 06965-L joined the Indian Coast Guard on 22 July 2010 and joined 841 SQN (CG), Daman as Aircrew Men (Diver) on 18 April 2016.

2. At about 1000 hrs on 02 August 2016, a message was received from Valsad Administration, Gujarat regarding a few villagers stranded amidst the flash floods in Hanuman Bhagada and Bhagadawada villages due to continuous heavy rains and high rise in the water level in Auranga river. The weather over Daman and in the adjoining area was extremely bad due to deep depression associated with overcast sky, low clouds, strong wind and incessant rains. Chetak CG 815 was prepared for the Search and Rescue (SAR) mission with Sandeep, U/Nvk nominated as the Free Diver.

3. The aircraft reached the area, and situation was observed to be critical as the houses were submerged, the water level was rising and there were many personnel in jeopardy. The unaided people were calling for help from roof top, holding on to the trees or floating on some support. Under these testing conditions, Sandeep was winched down frequently on different locations for evacuation of stranded villagers. In one case, he was winched down to save a few survivors on a tin-shed roof. On being winched down, the tin-shed broke and collapsed with the survivors alongwith him falling under the tin-shed. Sandeep maintained his composure, without concern for personal safety and considering the need of the hour, quickly got the survivors out from the collapsed shed and assisted in winching up, whereas he himself remained within collapsed and flooded area for the rescue.

4. During the return of the helicopter to the base, he noticed that two survivors were waving to grab the attention and he informed the Captain of the Aircraft. The EP, without wasting time, prepared the survivors for winching up and transfer to safe location. Sandeep assisted in winching up of 28 survivors from different situations and dropped them at safe site near Valsad light house in inflexible eight trips. During the entire operation, the EP provided moral support to each survivor by giving personal example and boosting up while the helicopter winched up others. On completion of the last trip, the EP himself got down from the helicopter and handed over all 28 saved personnel to local police.

5. As an aircrew, Sandeep displayed exemplary leadership, bravery, devotion to duty and decisiveness which resulted in saving 28 precious lives. The EP maintained his calm and composure throughout the mission despite adverse weather conditions and supported in excellent crew co-ordination. His sound judgment, presence of mind, courage and perseverance helped in accomplishing the mission in tune with Coast Guard motto and brought laurels to the service.

6. Sandeep, Uttam Navik (Quarter Armor), 06965-L has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

7. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

A. RAI
Officer on Special Duty

No. 22- Pres/2017—The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2017 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers:-

(i) Deputy Inspector General Satyajit Krishnaji Vaidya (4046-S)

(ii) Deputy Inspector General Shajen Kurian (4070-X)

(iii) Commandant Jashbir Singh Randhaawaa (0280-L)

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11(ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

A. RAI
Officer on Special Duty

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

BANSHI DHAR DUBEY
Digitally signed by BANSHI DHAR DUBEY
Date: 2017.03.18 11:23:19 +05'30'